

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 157B/2015-16

1. पुरुषोत्तम महतो 2. उग्रसेन महतो बनाम मीना महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
31.07.18	<p>अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता 1.पुरुषोत्तम महतो 2. उग्रसेन महतो, पिता स्व० जयराम महतो, ग्राम-छोटा आमदा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति मीना महतो पति करमचन्द्र महतो ग्राम-बड़ा आमदा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अवशेष भूमि काफी कम है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।</p> <p>अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।</p>	
	<p>31/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला।</p>	